स्टांप ड्यूटी में उपायुक्त उद्योग या डीएम की सिफारिश पर ही छूट

राब्यू, **लखनऊ** : उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत नई इकाई लगाने के लिए स्टांप में छूट प्रदान की जाएगी। नीति के तहत निवेश के लिए भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ जिलाधिकारी या जिला उद्योग उपायुक्त की सिफारिश पर ही प्राप्त होगा। औद्योगिक विकास व प्रोत्साहन नीति में स्पष्टीकरण के साथ जारी अधिसूचना में इसे स्पष्ट किया गया है।

अधिसूचना में साफ किया गया है कि जिलाधिकारी या जिला उद्योग उपायुक्त को हस्तांतरण-पट्टा की पुष्टि करनी होगी कि यह छूट उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अधीन ही दी जाए। उक्त दोनों में से किसी एक अधिकारी को इसके लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करना होगा। किसी अन्य नीति के अधीन सुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई को स्टांप शुल्क में छूट नहीं मिलेगी।

पूर्वांचल-बुंदेलखंड को वरीयता

औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2022 में बुंदेलखंड व पूर्वांचल को वरीयता दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) में हासिल हुए कुल निवेश प्रस्ताव का 29 प्रतिशत पूर्वांचल व 13-13 प्रतिशत बुंदेलखंड-मध्यांचल को प्राप्त हुआ है। वहीं, पश्चिमांचल को 45 प्रतिशत निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं।

अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले पूर्वांचल व बुंदेलखंड में स्टांप छूट पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। नोएडा व गाजियाबाद को छोड़कर मध्यांचल व पश्चिमांचल में स्टांप शुल्क में 75 प्रतिशत तथा नोएडा-गाजियाबाद में स्टांप शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।